UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 2089 / 16ल दिनांक 18/08/2016

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

विषय– वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/9873/2015 सारी–विजराकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 2.6100 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ भारत सरकार का आपत्ति पत्र दिनांक 25.04.2016 ।

महोदय,

उक्त वनभूमि पत्रावली में भारत सरकार द्वारा ऑन लाइन लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार किया गया है–

Sr.	EDS Details	EDS Removed as follows
1	In reply to point No. 3 of EDS, it is mentioned that the information /documents are submitted in online para C-1(iii) & (iv) in para c-1 (iii) copy of SOI Toposheet map is submitted but geo-coordinates are not shown in para C-1 (iv), scanned copy of geo-referenced map showing geo-coordinates of the starting and end points only has been submitted . Geo-coordinates are required to be shown in the geo-referenced digital map at a regular interval of 200 m to 300 m including all curves along the alignment of the proposed road. State Govt. is requested to submit revised geo-referenced digital map.	Revised geo refrenced digital map being submitted In revised geo reference digital map geo coordinates are shown in digital map at curvers and in 300 mtr distance. Total geo coordinates shown are in 11 points in 3 Km length of motor road. Online submitted in C (iii), (iv) and also this letter.
2	In reply of point No. 4 of EDS, it is mentioned that the information /documents are submitted in online para L (v) & (vi). In para-L (v), geo-referenced digital map showing geo-coordinates at 4 points only along the periphery (polygon) of the land proposed for CA has been submitted. In the geo-referenced digital map for the area proposed for CA, geo-coordinates are required to be shown at all the corner points along the periphery (polygon), The map attached in para L (vi) is a copy of the SOI Toposheet showing the land identified for CA but geo-coordinates are not shown. State Govt. is requested to submit revised geo-referenced digital map for area proposed for CA.	In revised CA map uploded onling geo coordinates are shown at all corners as required. Total geo reference points are 10 as shown on revised digital map. Online submitted in L (v), (vi) and also this letter.
3	In reply to point No. 5 fo EDS, the proceedings of the District Level Committee meeting is submitted but the area is mentioned as 0.61 ha instead of 2.61 ha. Revised certificate may be submitted after correction of area.	corrected area 2.61 ha is mentioned . online submitted in B-2.4 and also this letter
4	In reply to point No. 8 of EDS, it is mentioned that the Civil land proposed for muck dumping is included in the 2.610 ha of forest land proposed for diversion. But, it is mentioned in the component wise breakup of land in para B-2.4 of Part I that the entire 2.61 ha forest land proposed for diversion in required for road construction only. Further, it is seen from para-2 of online para-II and the land schedule attached with the proposal that the entire 2.61 ha forest land proposed for diversion is Reserve Forest Land measureing 2900 m in length and 9.00 m in width. Therefore, it is not understood as to how the Civil Land identified for muck dumping is included in the 2.61 ha Reserve Forest Land proposed for diversion which needs clarification from the State Govt.	Total reserve forest land being diverted for road construction is 2.61 ha is in reserve forest(in 2900mtr length and 9 mtr width) land proposed for muck dumping is in nap land which is not included in 2.61 ha (as shown in SOI toposheet).
5	In reply to point No. 9 of EDS, it is mentioned that the Part-I, II, III, IV, V are submitted in the online web portal in Part A-1 (iii). But it is found that the copies that the copies of Part I & II are submitted in old format instead of the formats given in online web portal and signed copies of Part-II, IV & V are not attached in hard copy. State Govt may take action as mentioned above.	Part-I is being submitted in formets given in online web portal. Part-I, II, III, IV & V are attached in the hard copy. Part-I is signed. Part-II, III, IV & V are to be signed by DFO, CF, Nodal officer, and concerned secretary respectively.

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0

रूद्रप्रयाग।

डिजिटल मैप – जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी – बिजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 3.00 कि0मी0)

0 0.5 1 1.5 Km

N W E S

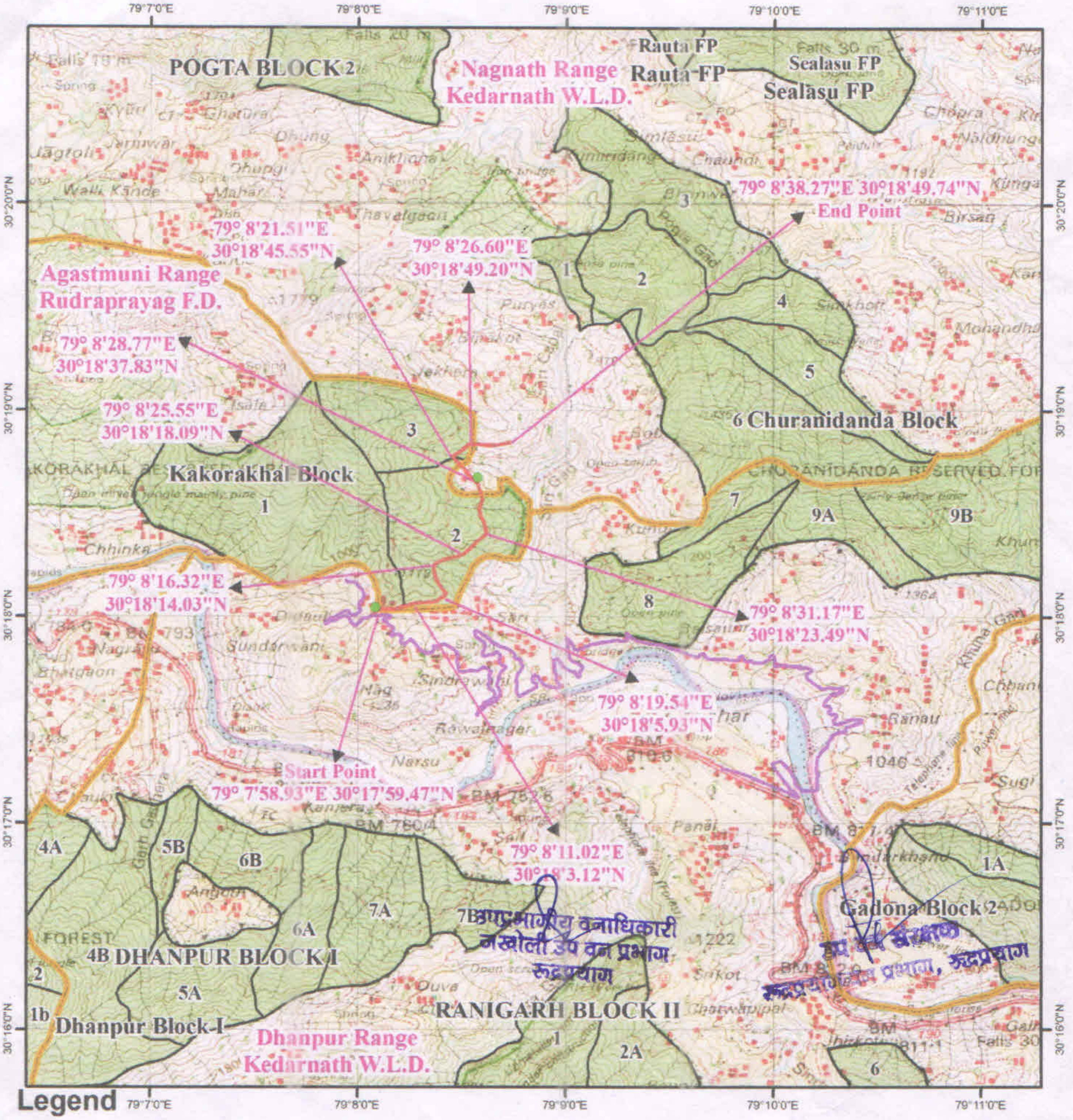

Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

Executive Engineer
Provl. Division P. W. D.
Rudraprayag

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

डिजिटल मानचित्र :– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी – बिजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई – 3.00 कि0मी0)

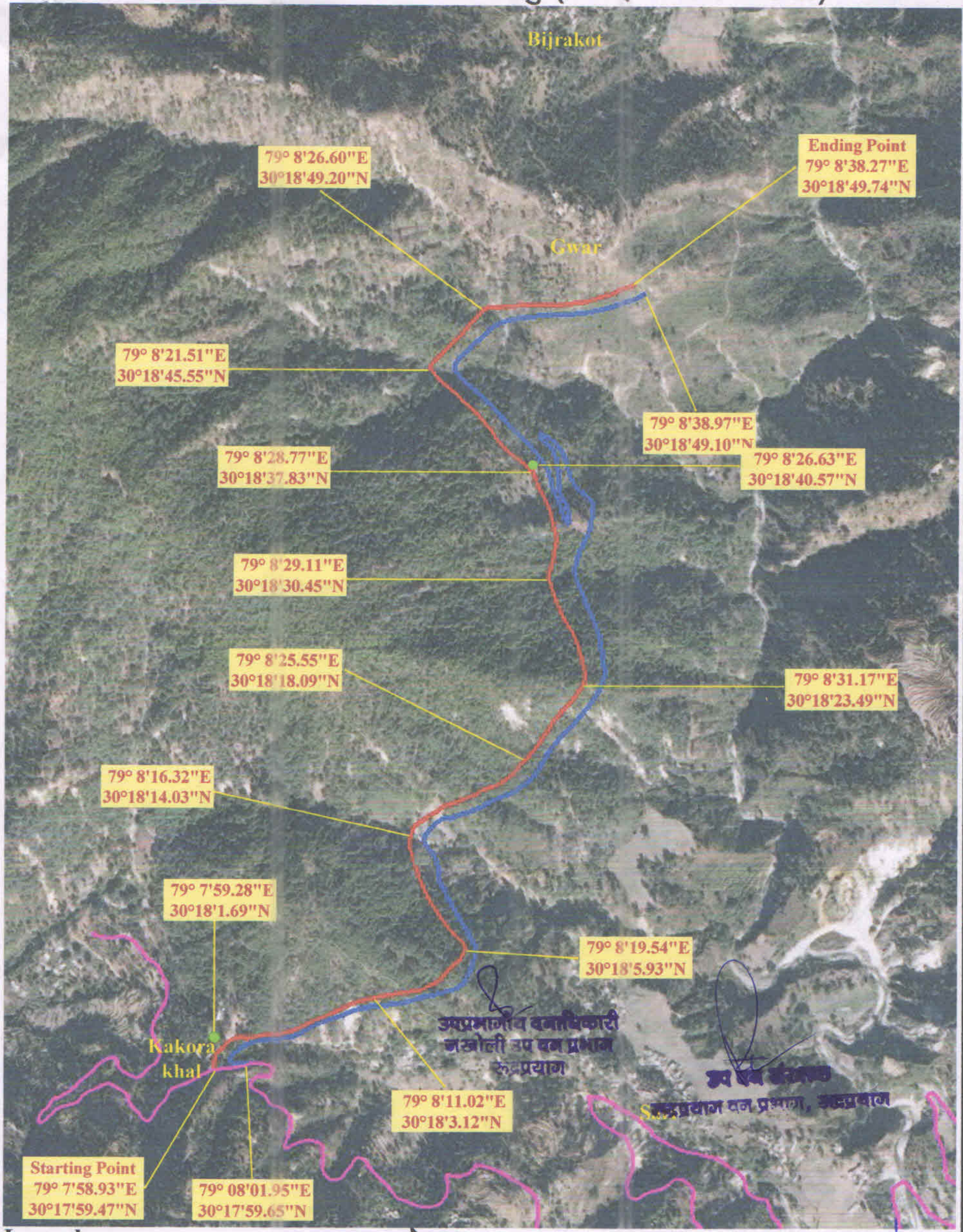

Legend

- MUCK DISPOSAL
- PROPOSED ROAD
- ALTERNATE ROAD
- EXISTING ROAD

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

Executive Engineer
Provl. Division P. W. D.
Rudraprayag

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

डिजिटल मैप – जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी – बिजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 3.00 कि0मी0)

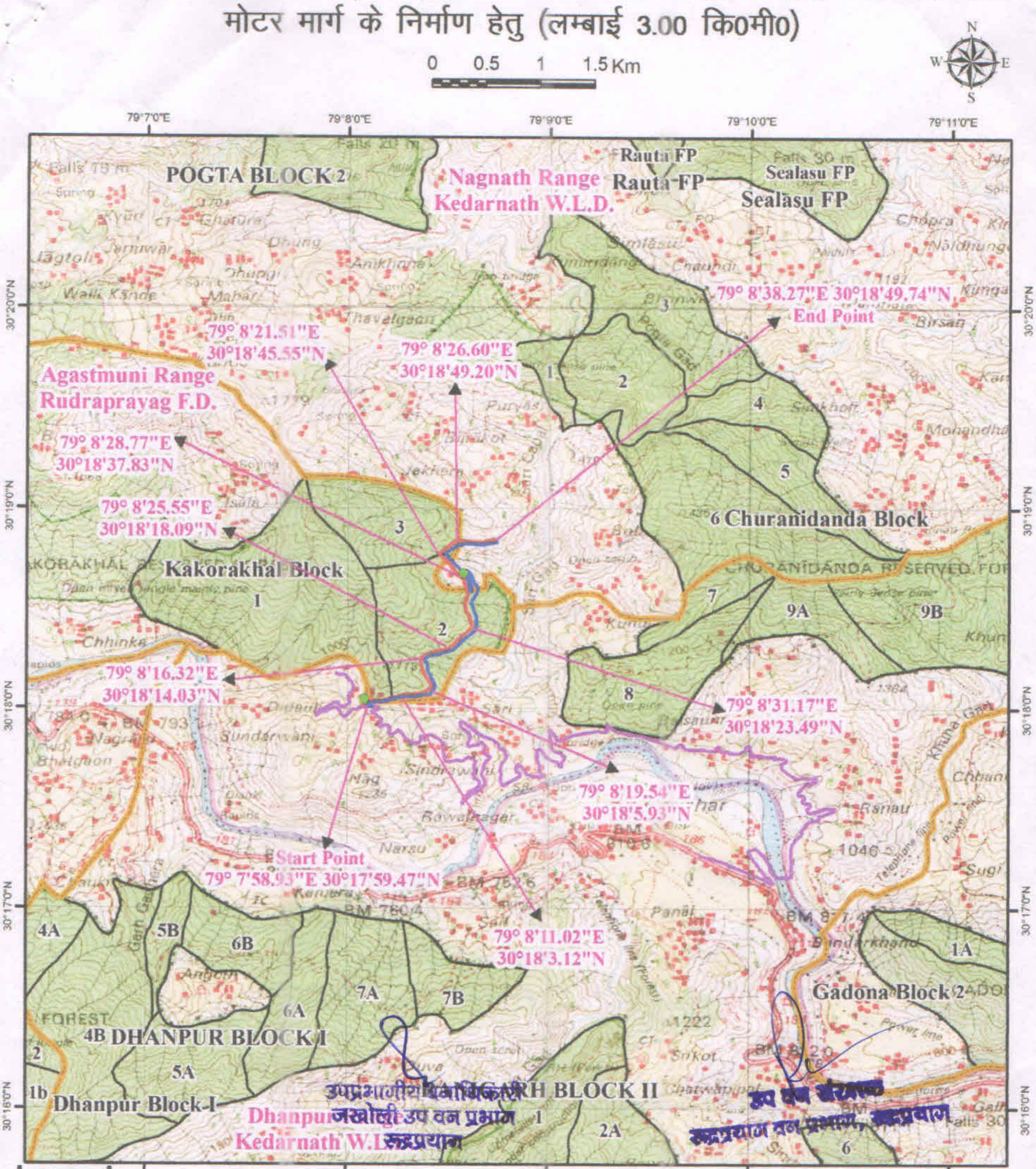

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग

Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

Executive Engineer
Provl. Division P. W. D.
Rudraprayag

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

डिजिटल मानचित्र :– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी – बिजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई – 3.00 कि0मी0)

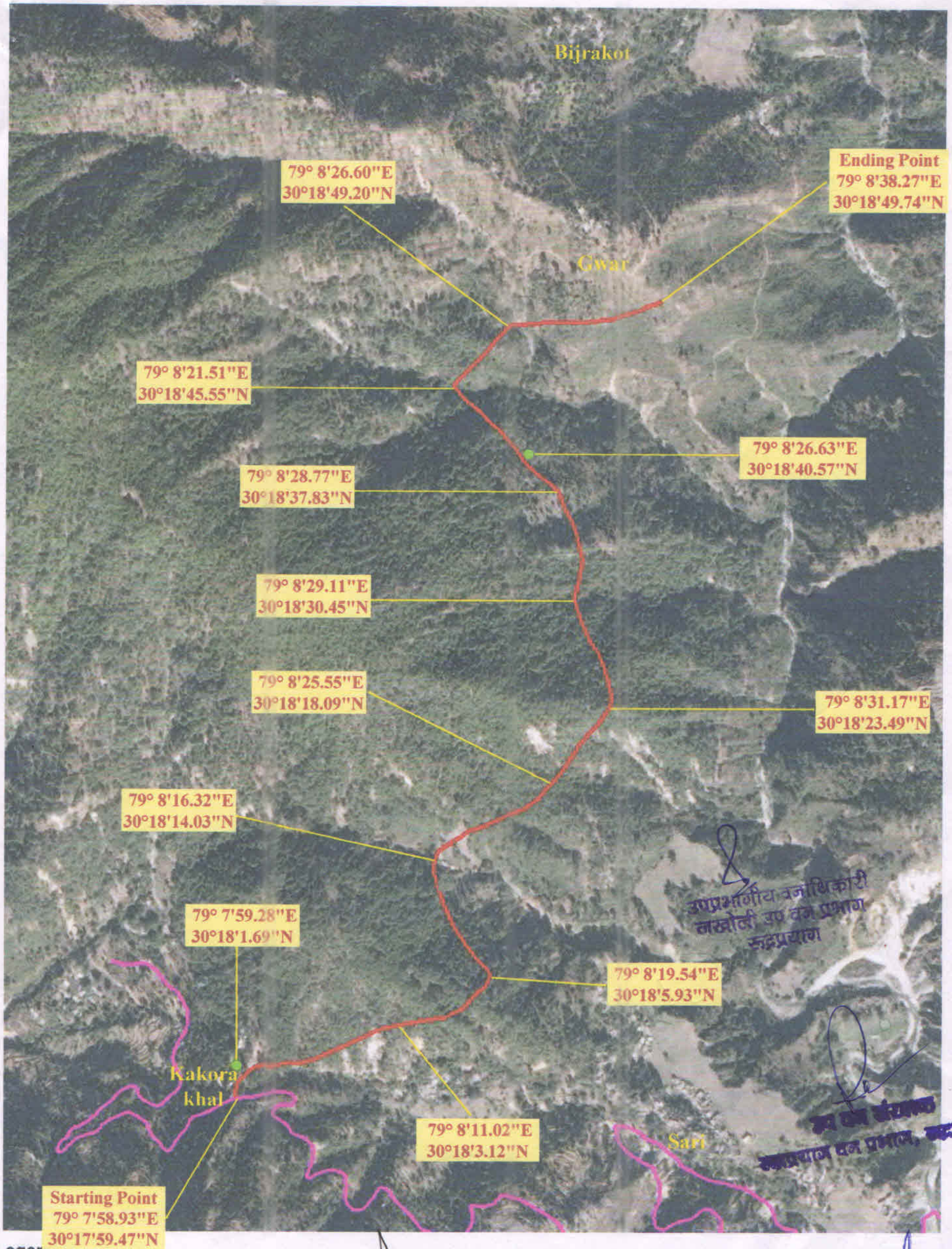

Legend

- MUCK DISPOSAL
- PROPOSED ROAD
- EXISTING ROAD

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

Executive Engineer
Provl. Division P. W. D.
Rudraprayag

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

डिजिटल मैप – जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी – बिजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 Km

N W E S

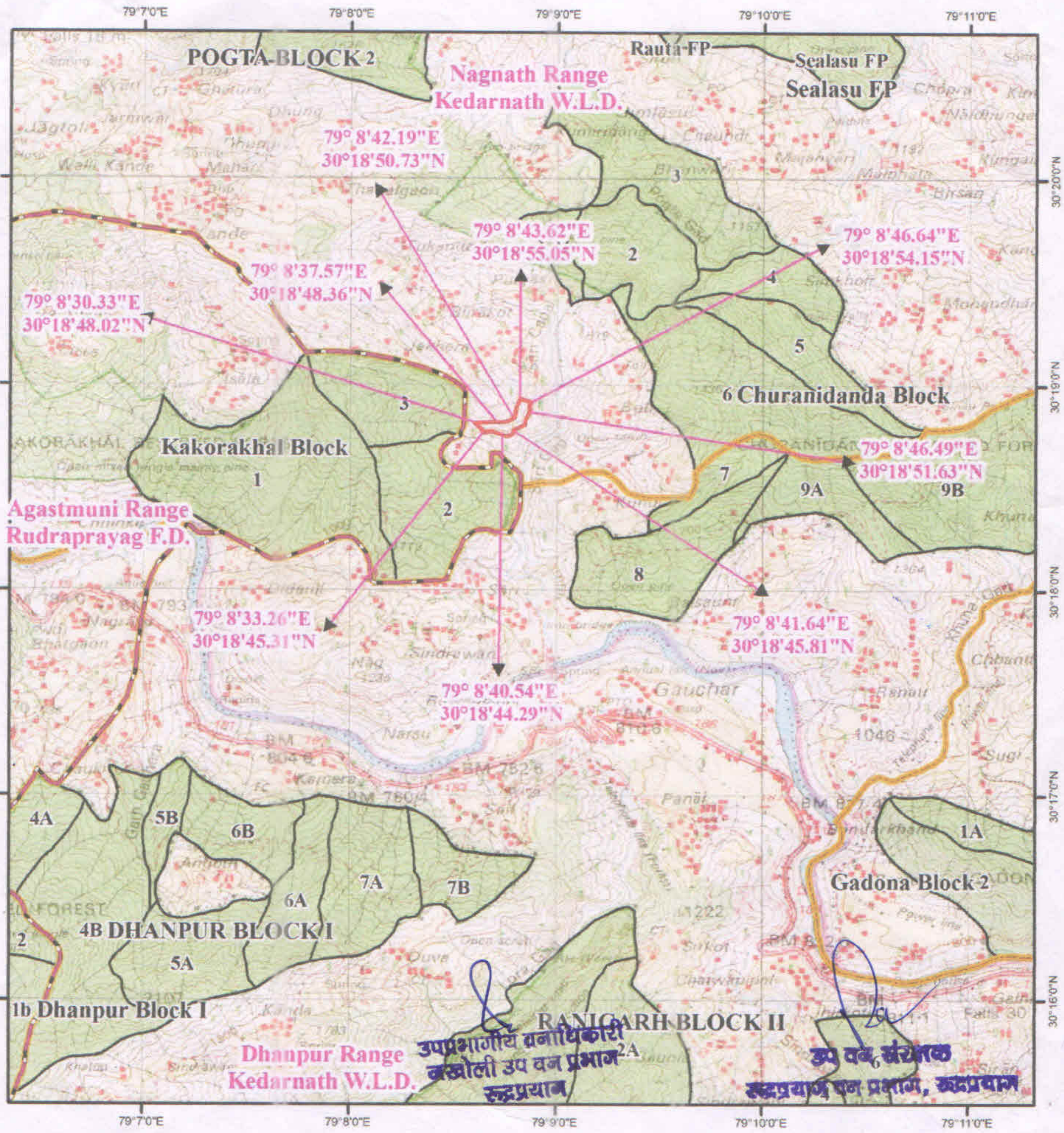

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बखोली उप वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग

Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

Executive Engineer
Provl. Division P. W. D.
Rudraprayag

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

डिजिटल मानचित्र :– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी – बिजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

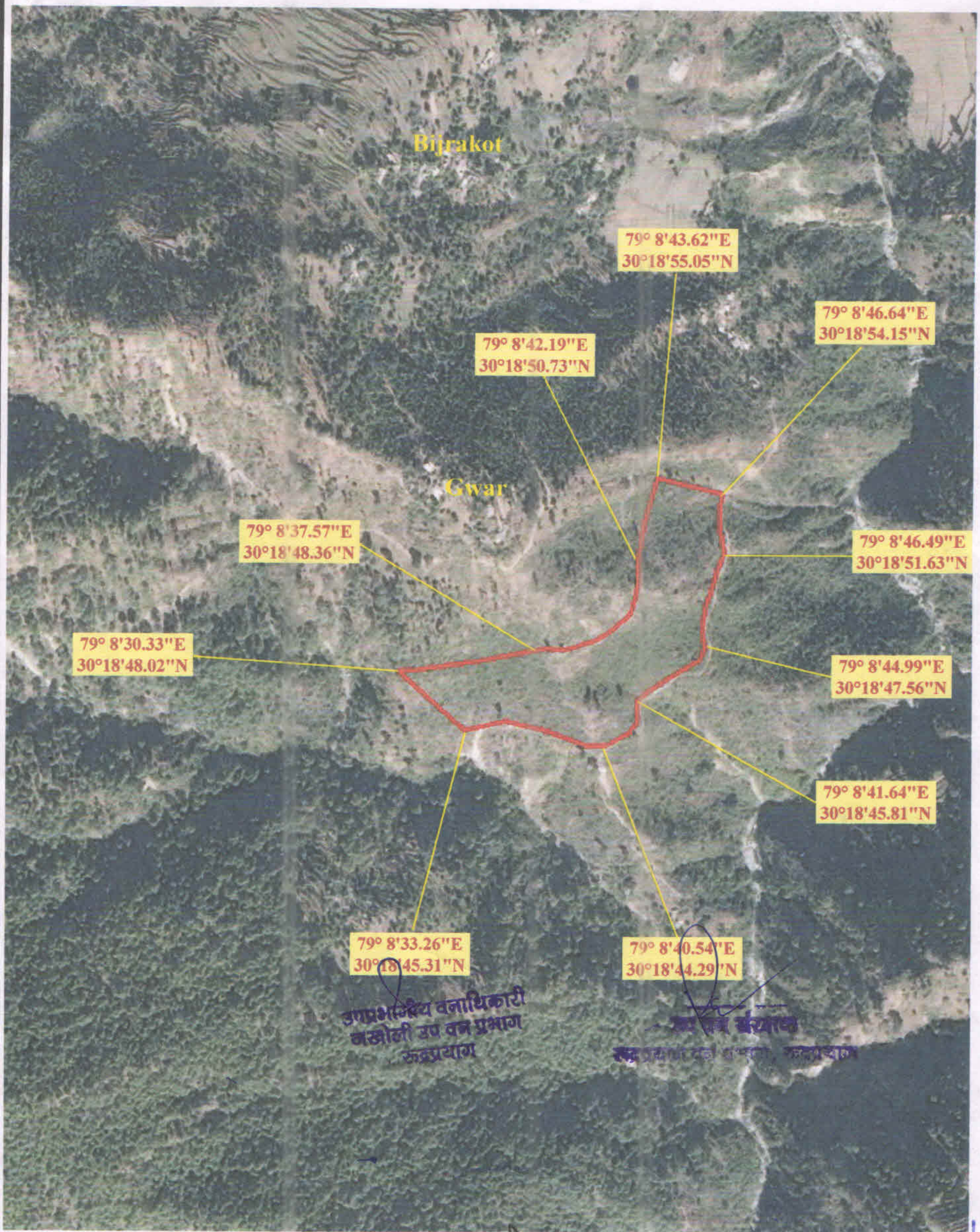

उपप्रभागीय वनाधिकारी
अखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Legend

Proposed Plantation 5.15 Ha.

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

Executive Engineer
Provl. Division P. W. D.
Rudraprayag

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No-18 Dated-----24-12-2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.610 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Sari-Vijrakot Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Sari** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Raghav

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S** deputy commissioner **Rudraprayag** on date 24-12-2014 at time ....at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring**2.610 hect** for the Construction of **Sari-Vijrakot Motor Road (3.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated: 24/12/14

Raghav

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या..........

परियोजना / स्कीम का स्थान	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजर रकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	रूद्रप्रयाग।
iii)	वन प्रभाग	रूद्रप्रयाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	2.610 है0
v)	वन की कानूनी स्थिति	2.610 है0 वन पंचायत भूमि 0.090 है0 नाप भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	~~0.90~~ 0.42
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	सूची में संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0.00 किमी0
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉं पाई जाती है यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8–	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित मार्ग हेतु दूसरा संरेखण उपलब्ध है।
9–	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	लागू नहीं

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– विजराकोट……………

तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (2.610 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1. 4625 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 2.6100 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत विजराकोट द्वारा दिनांक 9/12/018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम विजराकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ह0/
विO ग्राम सचिव अगस्त्यमुनि
जनपद - रूद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत विजराकोट
ह0
दि0 9/12/018
ब्लॉक अगस्त्यमुनी, रूद्रप्रयाग
ह0/—
ग्राम प्रधान

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)

दिनांक 9/11/018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत विजराकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जसवीर सिंह S/o स्व0 नारायण सिंह	[illegible]
2-	उर्मिला देवी W/o बृजमोहन सिंह	मदन सिंह
3-	मदन सिंह S/o स्व0 मंगत सिंह	उर्मिला देवी
4-	सरस्वती देवी W/o सुरेन्द्र सिंह	कुन्ती देवी
5	पृथ्वी सिंह S/o आनन्द सिंह	पृथ्वी सिंह
6-	कविता देवी W/o लक्ष्मण सिंह	कविता देवी
7	रामेश्वरी देवी W/o कुंवर सिंह	रामेश्वरी देवी
8	जीतपाल सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
9	देवेन्द्र सिंह S/o स्व0 नत्था सिंह	देवेन्द्र सिंह
10	कुंवर सिंह S/o स्व0 [illegible] सिंह	कुंवर सिंह
11	दिलवर सिंह S/o स्व0 शिवराम सिंह	दिलवर सिंह
12	भरत सिंह S/o अवतार सिंह	B. S. [illegible]
13	मोहन सिंह S/o कमल सिंह	Mohan
14	बुलबुल सिंह S/o वीर सिंह	[illegible]
15	सुरेन्द्र लाल S/o उदय लाल	[illegible]
16	जयपाल सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
17	नन्दा सिंह S/o स्व0 [illegible] सिंह	[illegible]
18	गोपाल सिंह S/o स्व0 शिवराम सिंह	[illegible]
19	जयपाल सिंह S/o स्व0 रघुराम सिंह	Gopal Smith
20	मातबर सिंह पंवार S/o भवान सिंह	[illegible]
21	बलवन्त सिंह S/o शिरपाल सिंह	मातबर सिंह पंवार
22	मातबर सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]

संलग्न है।

प्रधान ग्राम पंचायत विजराकोट, विकासखण्ड अगस्त्यमुनी, रुद्रप्रयाग
ह0 [illegible]
दि0 9/11/018

ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– रूद्रप्रयाग

<u>अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र</u>

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि।

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)** (2.6100 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.4625 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 2.6100 हे0** वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन्र अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, **(तहसील रूद्रप्रयाग)** की दिनांक 23-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्री चतर सिंह चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री चतर सिंह चौहान उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग अध्यक्ष
2– श्री अजय शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग, सदस्य
3– श्री हर्षवर्धन भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रूद्रप्रयाग, सदस्य/सचिव
4– श्री मंगी सिंह (?) बी0डी0सी0 क्षेत्र ——विजराकोट——सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)**परियोजना हेतु. **2.610 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु **2.610 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रूद्रप्रयाग
जनपद रूद्रप्रयाग